न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 340/2019
निर्णय दिनांक : 13/01/2020

1. अशोक पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
2. निरंजन पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
3. छिगन लाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति जोगी निवासीः ग्राम दौलतपुरा कोटडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमल शर्मा पुत्र स्व. डूंगरमल
2. प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. डूंगरमल
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीः 6/378, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. बुद्विप्रकाश पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण जाति जोगी निवासीः ग्राम दौलतपुरा कोटडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

<u>अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर वाद संख्या 313/2006 उनवानी गीता देवी बनाम अशोक व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: निर्णय :—

अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर के वाद संख्या 313/2006 बउनवानी गीता देवी बनाम अशोक व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 15.03.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर, जिला जयपुर में खसरा नंबर 1342 रकबा 1.45 हैक्टेयर स्थित है। जिसका विभाजन कर खसरा नंबर 1342/1, 1342/2, 1343/3 बनाये गये। खसरा नंबर 1342/3 रकबा 0.98 हैक्टेयर में से खातेदार छीगन का हिस्सा 1/5 एवं बुद्विप्रकाश का हिस्सा 1/5 अर्थात रकबा 0.98 हैक्टेयर में से 2/5 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र वादिया ने क्रय कर लिया जिसका विधिवत नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 18.06.2004 एवं नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 08.08.2005 वादिया के नाम तस्दीक हो गया तथा यही कृषि भूमि इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात है। इस कृषि भूमि में श्रीमती हेमलता एवं अन्य का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात है। वादिया एवं प्रतिवादीगण मनबट अनुसार अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है। अभी तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। वादिया क्रय की दिनांक से ही वादग्रस्त आराजी में 2/5 हिस्से की सहकाश्तकार है। मनबट अनुसार अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने हिस्से की कृषि भूमि विक्रय करने पर आमादा है। वादिया ने छीगन एवं बुद्विप्रकाश के हिस्से को क्रय किया है इसलिये प्रतिवादीगण रंजिश रखते है इसलिये सम्मिलित में काश्त करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आराजी का विधिवत तकासमा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वादिया ने प्रतिवादीगण को तकासमा कराने हेतु कहा तो साफ इंकार हो गये इसलिये वादिया के लिये आवश्यक हो गया है कि वादिया वादग्रस्त आराजीयात का नियमानुसार तकासमा करावे। इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 1342/3 रकबा 0.98 हैक्टेयर में 2/5 हिस्से की वादिया खातेदार काश्तकार है, का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न तो स्वयं करे और ना ही वादग्रस्त आराजी का बेचान करे ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 04.05.2012 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया। तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 24.04.2017 के द्वारा मुताबिक कुरैजात पक्षकारान के मध्य विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने की अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा डिक्री की पालना बाबत इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से दिनांक 15.03.2019 को संशोधित आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही मनमाने ढंग से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गीता देवी का नाम गलत रूप से हजफ कर गीता देवी के स्थान पर कमल शर्मा व प्रकाश शर्मा दिया का अंकन किया गया है जिसका अधिनस्थ न्यायालय को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2019 खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार निर्णय डिक्री पारित किये जाने के 2 वर्ष के भीतर निष्पादन का आवेदन करने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार आदेश दिनांक 15.03.2019 पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2012 को प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 24.04.2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर पक्षकारान के मध्य तकासमा किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा डिक्री की पालना बाबत इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से दिनांक 15.03.2019 को संशोधित आदेश पारित किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 24.04.2017 की अपील पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 368/2017 दिनांक 08.08.2017 को एवं द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपील संख्या 4967/2017 निर्णय दिनांक 11.06.2018 के माध्यम से खारिज की जा चुकी है। जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 भी अंतिम हो गई है। जिसकी पालना के लिये प्रार्थी द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट से भिन्न कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किये गये है। तहसीलदार द्वारा मात्र राजस्व विभाग के निर्देशानुसार राजस्व रिकॉर्ड के डिजीटल/कम्प्यूटराईज्ड किये जाने में हुई तकनीकी बाधा कम्प्यूटर द्वारा खसरा नंबर तीन डिजीट में ग्रहण नहीं किये जाने से खसरा नंबर 1342/3/1 व 1342/3/2 को दो अंकों किये जाने के तथ्य रिपोर्ट में वर्णित किये है जिससे किसी भी प्रकार से अपीलान्ट का ना तो हिस्सा कम किया गया है एवं ना ही उनके नाम को हजफ किया गया है अर्थात किसी भी प्रकार से हक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाया गया उज्र कि गीता देवी का नाम गलत रूप से हजफ कर गीता देवी के स्थान पर कमल शर्मा व प्रकाश शर्मा के नाम का अंकन किया गया है जबकि अंतिम निर्णय व डिक्री के संदर्भ में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.06.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में गीता देवी के स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधि कमल शर्मा व प्रकाश शर्मा को बतौर पक्षकार माननीय राजस्व मंडल के समक्ष ही बना लिया गया है। जिससे अपीलान्ट का उठाया गया यह उज्र कि गीता देवी का नाम गलत रूप से हजफ कर गीता देवी के स्थान पर कमल शर्मा व प्रकाश शर्मा के नाम अंकन गलत किया गया है, मिथ्या एवं निराधार पाया जाता है। विवादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार बुद्वि प्रकाश द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से 490/5880 को कमल शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 79 के माध्यम से बुद्विप्रकाश के हिस्से पर कमल शर्मा का इन्द्राज भी अंकित हो चुका है। जिस कारण विक्रेता के स्थान पर क्रेता के नाम का अंकन विधिक प्रावधाननुसार आवश्यक है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्त किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। सी.पी.सी. के आदेश 21 नियम 22 के प्रावधान के अनुसार भी निर्णय डिक्री पारित किये जाने के 2 वर्ष के भीतर निष्पादन का आवेदन करने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2018 को पारित की गई थी जिसका निष्पादन दिनांक 12.09.2018 अर्थात 3 माह में ही कर दिया गया जिस कारण अप्रार्थीगण को नोटिस दिया जाना सी.पी.सी. के आदेश 21 नियम 22 के प्रावधानानुसार आवश्यक नहीं है। धारा 47 सिविल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार " वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते है जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा अवधारित किये जावेगे ना कि पृथक वाद द्वारा "। उपरोक्त विधिक प्रावधान अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2019 को सही निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल के द्वारा निर्णय दिनांक 11.06.2018 के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को सही बताया गया है, में बिना कोई संशोधन किये एवं ना ही कुरैजात रिपोर्ट में कोई परिवर्तन किये बिना ही, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुये सही संशोधित आदेश पारित किया गया है। जिससे किसी प्रकार से अपीलान्ट के कोई हक अधिकार प्रभावित व समाप्त होना नहीं पाये जाते है। जिस कारण अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 15.03.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner